

23/5/18

पत्रावली आज च्याम आपके कार कैंप कोर्ट  
शा.ड.मा. विद्यालय बंगला पर मूल वाद के साथ  
पेश हुई। प्र.पत्र में उल्लेखित विवादित भूमि  
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह-जवाबदारी की  
भूमि है जिससे प्रत्येक सह-जवाबदार को सह-जवाबदारी  
की भूमियों का उपयोग व उपभोग करने का समान  
अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में प्रार्थी पत्रावली  
अख्याई निषेधाज्ञा का खीना किया जाकर ता  
केसला वाद उभय पक्षकारान को अख्याई  
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित  
भूमि आराजी खदरा नम्बर 128/1620 वाले  
ग्राम फतेहपुर रा तहसील चौमू के मौजे की  
स्थिति बनाये रखें। एवं किसी विशेष न. न. ग. ग.  
का केयान नहीं करें। उक्त अख्याई निषेधाज्ञा  
विवादित भूमि के रहन एवं विरासत के नामान्तरण  
पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फौजल शुमार होकर  
इस नम्बर के मस हो तथा दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय कोर्ट कैंप शा.ड.मा. वि. बंगला पर  
सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी  
चौमू जिला खवपुर